

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अ०जा० तथा अ०जन जा०(अत्या०निवा०)अधि० रामपुर

परिवाद संख्या-06/2021

पंजीयन सं० 11/2021

वेदप्रकाश बनाम कर्मा आदि

दिनांक: 19.02.2024

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। वाद पुकारा गया। परिवादी वेदप्रकाश के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उनको प्रकरण में पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। मेरे द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण घटना वर्ष 2020 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तगण कर्मा आदि की लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध धारा 299 दं० प्र० सं० के अधीन कार्यवाही दिनांक 27.07.2023 को अग्रसरित की गयी है। धारा 299 दं० प्र० सं० के साक्ष्य के तहत पी०डब्लू० 1 वेदप्रकाश, पी०डब्लू० 2 श्रीमती लौंगश्री तथा पी०डब्लू० 3 महावीर को परीक्षित कराया गया है। उक्त तीनों साक्षीगण द्वारा परिवाद अभिकथन का पूर्णतया समर्थन किया गया है, लेकिन अभियुक्तगण की अनुपस्थिति के कारण उनसे प्रति पृच्छा नहीं हुयी है। अब अन्य कोई तथ्यपरक साक्षी परीक्षित कराने को नहीं है। इसलिये पत्रावली की पुरातनता को दृष्टिगत रखते हुये इसे अब अधिक समय तक लंबित रखना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं हो रहा है।

आदेश

परिवाद सं० 06/2011, वेद प्रकाश बनाम कर्मा आदि, अंतर्गत धारा 420, 323 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1) ध अ०जा० तथा अ०जन जा०(अत्या०निवा०)अधि०, थाना मिलक खानम, जिला रामपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण कर्मा पुत्र श्री स्वर्ण सिंह तथा अमरजीत सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, निवासीगण ग्राम माटखेड़ा, गुरुद्वारे के सामने, थाना मिलक खानम, जिला रामपुर को फरार घोषित करते हुये सतत जारी रहने वाला अधिपत्र (Standing Warrant) निर्गत किया जाता है।

थाना मिलक खानम, जिला रामपुर के भार साधक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभियुक्तगण जब भी गिरफ्तार हो तो उन्हें अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

बाद अनुपालन, पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावली को दाखिल दफ्तर करते समय यह प्रविष्टि कवर पेज पर अंकित करें कि पत्रावली का निकट भविष्य में विनष्टिकरण न हो।

इस संबंध में अभिलेखपाल, जनपद न्यायालय, रामपुर को भी निर्देशित किया जाता है कि निकट भविष्य में पत्रावली का विनष्टिकरण न करें।

विशेष न्यायाधीश, अ०जा० तथा अ०जन जा०
(अत्या०निवा०)अधि०, रामपुर